कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

nnkota@gmail.com websites : www.kotamc.org,

डेयरी बूथ आवंटन हेतु फार्म भरने हेतु सामान्य निर्देश

1. **डेयरी बूथ आवंटन के लिये निम्न व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकता हैं :–**
   - (i) बेरोजगार (बेरोजगार के साक्ष्य के रूप में आवेदक को श्रम रोजगार कार्यालय का पंजीकृत दस्तावेज या बेरोजगार होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा)
   - (ii) भूतपूर्व सैनिक (भूतपूर्व सैनिक के रूप में सेवानिवृति के समय दिया गया डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र की प्रति या अन्य कोई दस्तावेज जिससे यह प्रमाणित हो कि आवेदक भूतपूर्व सैनिक रहा है, प्रस्तुत करने होगें)
2. **उक्त में से निम्न प्रकार से आरक्षण दिया जावेगा :–**
   - (i) महिलाओ के लिये 30%
   - (ii) **ST/SC** को शहर की जनसंख्या के अनुपात में (सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र)
   - (iii) विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिये 5% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण होगा। सक्षम स्तर से जारी 40% & Above की निःशक्ता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. शुल्क :– आवेदन पत्र का कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। आवंटन पत्र जारी होने पर नियमों में निर्धारित शुल्क देय होगा।
4. डेयरी बूथ हेतु स्थलों का चयन. सार्वजनिक विज्ञप्ति में प्रकाशित स्थलों के अनुसार करें। उन ही में से आवेदकों को आवेदन करना है। किन्ही 3 स्थलों के लिए प्राथमिकता दे सकता हैं। बूथ क्रमांक सार्वजनिक विज्ञप्ति के अनुसार ही होगे।
5. आवेदन पत्र की उपलब्धता :– नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाईट www.kotamc.org से डाउनलोड किया जा सकता हैं।
6. आवेदन पत्र को जमा कराने की अंतिम तिथी :– सार्वजनिक विज्ञप्ति अनुसार होगी।
7. **सामान्य शर्ते :–**

(i) किसी भी आवेदक (परिवार) द्वारा नगर निगम कोटा, उत्तर क्षेत्र में एक से अधिक आवेदन मान्य नहीं होगे व ऐसे आवेदन को निरस्त माना जावेगा।

(ii) शहरी क्षेत्र में आवेदन देने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र की संवीक्षा कर सही पाये गये आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिवस तक प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) उक्त खण्ड 7 (ii) में तैयार की गयी सूची में से लॉटरी के माध्यम से नवीन डेयरी बूथों की संख्या के चार गुणा आवेदकों का चयन किया जायेगा।

(iv) लॉटरी में सफल आवेदकों का साक्षात्कार आवंटन समिति द्वारा लिया जाकर चयन किया जायेगा। चयनित सफल आवेदक को यथा उनके द्वारा आवेदन–पत्र में इच्छित बूथ स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि इच्छित बूथ–स्थल के लिये अधिक आवेदक हैं, तो आवेदक को यथासंभव उसके निवास के आस–पास का बूथ स्थल आवंटित किया जायेगा।

(v) आवंटन समिति द्वारा नगरीय निकाय को सफल आवेदकों की प्रेषित अंतिम सूची में अंकित आवेदक को लीज राशि/किराया राशि जमा कराकर बूथ संचालन हेतु आवश्यक लाईसेन्स नगरीय निकाय द्वारा जारी किया जावेगा।

(vi) निकाय द्वारा डेयरी बूथ आवंटन करने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो पर दुध/दुग्ध पदार्थ/क्रेट के पेटे सुरक्षा राशि प्राप्त कर दुध सप्लाई शुरू की जावेगी।

(vii) डेयरी बूथ का आवंटन बीस वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसका किराया आदि स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर के अनुसार होगा।

(viii) नवीन डेयरी बूथ का किराया/लीज मनी–किराया/लीज मनी आवेदक को एक मुश्त 15,000/–रूपये जमा करानी होगी। संबंधित आवंटी को 1000/–रूपयें की दो वर्ष के लिये सुरक्षा राशि के रूप में संबंधित निकाय में जमा करानी होगी।

(ix) डेयरी बूथ का आवंटन पूर्णतः अस्थाई होगा। आवंटित बूथ को भविष्य में निकाय द्वारा आवंटन समिति के निर्णय अनुसार गुणावगुण के आधार पर हटाया अथवा स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(x) डेयरी बूथ पर कोटा डेयरी व नगर निगम द्वारा अनुज्ञात वस्तुओं का ही विक्रय किया जा सकेगा।

8. आवंटी को स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना 22.10.2021, डेयरी बूथ आवंटन के सम्बन्ध में समय–समय पर पारित आदेश; वर्तमान में प्रभावी व भविष्य में लागू होने वाले राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के नियम/उपनियम/विधि/निर्देश की पालना करनी होगी।

9. डेयरी बूथ हस्तान्तरण साधारणतया बूथ अहस्तान्तरणीय है लेकिन डेयरी बूथ आवंटी को मृत्यु होने पर ही कानूनी रूप से वारिस के नाम बूथ के स्वामित्व का हस्तान्तरण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

10. बूथ का निरस्तीकरण :– डेयरी बूथ ऐजेन्ट द्वारा निर्धारित नियम/शर्तो की अनुपालना नहीं करने पर बूथ का आवंटन संबंधित दुग्ध संघ की अनुशंषा पर स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

11. अनुपालना :– स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व की भांति ही दुग्ध बूथों का आवंटन केवल आरसीडीएफ से संबंध दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थो के विपणन के उद्देश्य से ही किया जावेगा, ताकि सहकारिता आदोलन से जुडे पशुपालको को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध करवाए जा सकें।

12. डेयरी बूथ आवंटन कार्य/प्रक्रिया अधिसूचना क्रमांकः 9329, दिनांक 22.10.2021 के अन्तर्गत गठित आवंटन समिति के निर्णयों के अध्याधीन रहेगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा। युक्तियुक्त कारणों के आधार पर चिन्हित स्थानों की संख्या में कमी/निरस्त करने का अधिकार आवंटन समिति को होगा।